समाचार

नहीं जमा किया दुकानों का किराया, निगम ने लगाया ताला

(बार–बार सूचना व संपर्क किए जाने के बाद भी किराया पटाने में बरत रहे कोताही)

कोरबा 19 जनवरी 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा के स्वामित्व वाले भवनों, दुकानों को लीज किराए पर लेने वाले लोगों द्वारा बार–बार संपर्क किए जाने एवं नोटिस दिए जाने के बावजूद दुकानों का किराया नहीं पटाया जा रहा, परिणाम स्वरूप आज निगम द्वारा बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए 05 दुकानों में ताला लगाकर सील कर दिया गया। वहीं दुकान, भवन किराए के रूप में आज 03 लाख 26 हजार 500 रूपये की वसूली निगम के राजस्व अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा अपने स्वामित्व की दुकानों, भवनों, ठेलों आदि का आबंटन लीज शर्तो के अधीन निर्धारित किराए पर संबंधित व्यक्तियों को किया गया है, इन व्यक्तियों द्वारा काफी समय से किराया निगम में जमा नहीं कराया जा रहा, जिससे निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। विभिन्न करों व किराए आदि से प्राप्त राशि से ही निगम शहर का विकास एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, समय पर भुगतान न किए जाने पर निगम की इन सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बकायादारों को निगम द्वारा डिमांड नोट अभियाचन बिल देकर किराया जमा करने को कहा गया था किन्तु उनके द्वारा बकाया राशि निगम में जमा नहीं कराई गई। निगम द्वारा ऐसे 275 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस भी जारी की गई थी। बकायादारों द्वारा किराया राशि न पटाए जाने पर निगम अमले द्वारा आज कार्यवाही करते हुए स्टेडियम रोड स्थित 05 दुकानों में ताला बंद कर उन्हें सील किया गया, इन बकायादारों से निगम ने कहा है कि वे बकाया राशि निगम कोष में जमा कराए, उनके द्वारा बकाया राशि जमा करने के तुरंत बाद उनके दुकान से ताला हटा लिया जाएगा। निगम द्वारा यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। निगम के अन्य बकायादारों से कहा गया है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल निगम कोष में जमा करें तथा दुकान सील करने से होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से बचे।

फोटो क्रमांक – 1